संख्या- 120/85-परती-2015-30(परती)/2014

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ, दिनांक जनवरी, 2015**

विषयः-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009-10,2010-11,2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-1/उत्तर प्रदेश/2014-15/आई0डब्लू0एम0पी0) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)-(के.90/रा.10-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' में रू0 2000000 हजार (रूपया दो सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश रू0 59.49 करोड़ (रूपया उनसठ करोड़ उन्चास लाख मात्र) के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि रू0 6.61 करोड़(रूपया छः करोड़ इकसठ लाख मात्र) अर्थात् कुल रू0 66.10करोड़ (रूपया छाछठ करोड दस लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित करते हुए स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी के प्रोजेक्ट फण्ड के सेविंग बैंक एकाउन्ट में जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रशासनिक विभाग द्वारा खोले गये उक्त खातों के संचालन एवं रख-रखाव आदि में सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों का समुचित अनुपालन किया जाना होगा और लेखों का मिलान बैंक से समय-समय पर किया जायेगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे तथा एस0एल0एन0ए0 के सेविंग बैंक एकाउन्ट से परिधिगत जनपदों के कार्यालयों/अधिकारियों को धनराशि के संचरण के सम्बन्ध में सुस्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा, तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) योजनान्तर्गत होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) -(के.90/रा.10-के. +रा.)-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे। उक्त कार्यलय-ज्ञाप में उल्लिखित निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 120(1)/85-परती-2015-30(परती)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप महानिरीक्षक वन, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11वा ब्लाक छठा तल, लोघी रोड, नई दिल्ली, 110003 को उनके पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-1/उत्तर प्रदेश/2014-15/आई0डब्लू0एम0पी0) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- उप सचिव/आहरण एवं वितरण अधिकारी, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23,सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
7- अध्यक्ष एवं प्रशासक,रामगंगा कमाण्ड परियोजना,177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।
8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कापरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in